पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केस–22 / 2009 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
तार्किक आदेश

श्री राज किशोर प्रसाद जब सिंचाई प्रमण्डल, दुमका प्रभारी सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शि०–महगामा के कार्यपालक अभियंता के प्रभार में थे तो उनके द्वारा बरती गई घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4650 दिनांक– 17.12.2005 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. श्री प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किया गया :–

(i) जब उक्त पद पर पदस्थापित थे तो नारायणपुर संग्रामपुर– विक्रमपुर तटबंध का निर्माण रूपांकित परिच्छेद में विशिष्ट के अनुरूप नहीं कराया गया।

(ii) सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बॉस स्क्रीन बनाने के लिए अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया।

(iii) उक्त तटबंध का कार्य क्षेत्र को उनके प्रमण्डल से हटाये जाने के बावजूद उक्त कार्य का प्रभार सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर–महगामा को नहीं सौंपा गया तथा स्थानान्तरण होने पर मात्र भुगतान दृष्टिकोण से आधे–अधूरे सेक्शन के विरूद्ध संवेदकों को चेक निर्गत कर दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जाँच पदाधिकारी द्वारा मात्र श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण के आधार बनाकर उन्हें आरोप मुक्त करने हेतु प्रतिवेदित किया गया जबकि श्री प्रसाद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने में देर हुई है जिस कारण वर्षात् से पूर्व रूपांकित परिच्छेद में विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं हो सका है। बाँस, स्क्रीन का आदेश संवेदक एवं संबंधित सहायक अभियंता को दिया गया, लेकिन बाँस स्क्रीन का कार्य हुआ कि नहीं इसका निरीक्षण करके इन्हें संतुष्ट होना चाहिए था, लेकिन इनके द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाना लापरवाही को दर्शाता है। श्री प्रसाद का यह कहना है कि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जबकि स्थानान्तरण के पश्चात् मात्र चार दिनों के अन्दर कार्यपालक अभियंता द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा जाँच किये बिना चेक निर्गत किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाया गया है कि उनके द्वारा विभागीय प्रक्रिया पूरा किये बिना चेक निर्गत किया गया एवं राशि की निकासी हेतु प्रयास किया गया। यदि अधीक्षण अभियंता / मुख्य अभियंता द्वारा चेक निकासी पर रोक नहीं लगायी जाती तो संवेदक को अनियमित भुगतान हो जाता।

4. सम्यक् समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2155 दिनांक– 17.06.2009 द्वारा श्री राज किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया :–

(क) निन्दन वर्ष 2005–06
(ख) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
(ग) पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

5. उक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2155 दिनांक– 17.06.2009 को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं०– WP(S) No. 4076/2009, राजकिशोर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 08.12.2017 को न्याय निर्णय पारित हुआ। पारित न्यायनिर्णय का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

....."15 Considering the facts of the case in the light of the principles of law as discussed above, necessarily leads to the Conclusion that the disciplinary authority has issued the impugned order of punishment contained in Memo No. 2155 dated 17.06.2009 in breach of principle of natural justice and that itself, vitiates that said order, as even though the disciplinary authority disagreed with the enquiry report yet without giving opportunity to the petitioner to satisfy that the finding of the enquiry officer is correct or asking show cause against the proposed punishment, passed the impugned order of punishment the disciplinary authority, if so advised, after indicating the reasons for Disagreement, give notice to the petitioner giving opportunity to the petitioner to satisfy that the finding of the enquiry officer is correct and asking show cause against the proposed punishment, may pass order in accordance with law.

16. In the result, impugned order of punishment contained in Memo No. 2155 dated 17.06.2009 is quashed and the writ application is allowed with the aforesaid observation. There shall be no order of costs.

6. वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा याचिका सं०– WP(S) No. 4076/2009, राजकिशोर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक– 08.12.2017 को पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध LPA दायर के संदर्भ में विधि (न्याय) विभाग झारखण्ड से मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरान्त में निम्न आदेश पारित किया जाता है –

(i) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत दण्ड संसूचन आदेश ज्ञापांक सं०– 2155 दिनांक– 17.06.2009 को निरस्त किया जाता है।

(ii) श्री प्रसाद के दिनांक– 30.11.2015 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4650 दिनांक– 17.12.2005 द्वारा नियम–55 के तहत् संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी० में सम्परिवर्त्तित किया जाता है।

(iii) श्री प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मामले का निस्तार, माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय के observation के आलोक में 2nd show cause पूछ कर किया जायेगा।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 1270 /राँची, दिनांक 27-02-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शि०–महगामा/श्री राजकिशोर प्रसाद, सेवानिवृत, कार्यपालक अभियंता, द्वारा–श्री वासुदेव प्रसाद, दानापुर थाना के बगल में, दानापुर कैन्ट–801503, पटना (बिहार)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव